लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3547
दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

"नए शिल्प गाँव"

3547. श्री काली चरण सिंहः
श्री कंवर सिंह तंवरः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा अब तक स्थापित शिल्प ग्रामों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में, विशेषकर अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए शिल्प ग्रामों की स्थापना की योजना, यदि कोई हो, क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में हस्तशिल्प विनिर्माताओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): सरकार द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 837 करोड़ रुपए के बज़ट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया।

(ख): विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय देशभर में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास एवं संवर्धन के लिए दो योजनाएं नामशः राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) कार्यान्वित करता है। इन योजनाओँ के तहत, विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों का गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास समर्थन आदि के माध्यम से कारीगरों को शुरु से अंत तक सहयोग हेतु आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाती है जिससे देशभर के पारंपरिक शिल्प एवं कारीगर लाभान्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह कार्यालय हस्तशिल्पों के संवर्धन एवं संरक्षण में सहयोग तथा शिल्पों को विशिष्ट पहचान देने हेतु, जीआई अधिनियम 1999 के तहत शिल्पों के पंजीकरण के लिए, आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है।

(ग): सरकार एनएचडीपी योजना के तहत शिल्प गांवों की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख पर्यटन स्थलों या सर्किटों के निकट स्थित और जुड़े क्षेत्रों का विकास करना है। कारीगर एक ही स्थान पर रहते और कार्य करते हैं तथा उन्हें उनके उत्पादों को बेचने का अवसर भी प्रदान किया जाता है जिससे उनकी आजीविका सुनिश्चित होती है। अब तक, आठ हस्तशिल्प गांवों को चिन्हित कर स्वीकृति प्रदान की गई है। इन शिल्प गांवों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर है। वर्तमान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, पूरे भारत से विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से शिल्प गांवों के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

(घ): देशभर के हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण के लिए, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय एनएचडीपी योजना के तहत पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगरों को निम्न वित्तीय लाभ/सहायता प्रदान करता हैः

1) विपणन मंच, कौशल एवं प्रशिक्षण उन्नयन, डिजाइन विकास कार्यशालाएं, टूलकिट वितरण, आधारभूत संरचना, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों का गठन, कार्यशाला/चौपाल का आयोजन और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए पहचान आईडी कार्ड जारी करना।
2) पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई के तहत कारीगरों को वैयक्तिक लाभ जैसे मुद्रा ऋण, ब्याज अनुदान, मुद्रा ऋण पर मार्जिन मनी तथा बीमा।
3) सिद्धहस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु एवं राष्ट्रीय पुरस्कार।
4) अभावग्रस्त परिस्थितियों के अंतर्गत पात्र पुरस्कार विजेता कारीगरों को प्रतिमाह 8,000/- रुपए की वित्तीय सहायता।

अनुलग्नक-1

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3547 के उत्तर के भाग (ग) में विनिर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	**स्थान एवं शिल्प**	**राज्य**
1.	रघुराजपुर, पुरी (पट्ट चित्रकारी, ताड़ के पत्ते पर नक्काशी, पत्थर नक्काशी, पेपर मेशी, खिलौने एवं मुखौटे, काष्ठ नक्काशी, तसर चित्रकारी आदि)	ओडिशा
2.	नैनी, प्रयागराज (मूंज शिल्प)	उत्तर प्रदेश
3.	महाबलीपुरम, चेंगलपट्टू (पत्थर नक्काशी शिल्प, कला धातु पात्र शिल्प)	तमिलनाडु
4.	कुंडा, आमेर जयपुर (टेराकोटा एवं कुंभकारी)	राजस्थान
5.	तिरुपति (काष्ठ नक्काशी, कलमकारी चित्रकारी, धातु शिल्प आदि)	आंध्र प्रदेश
6.	ताजगंज, आगरा (मार्बल इनले)	उत्तर प्रदेश
7.	वडाज़, अहमदाबाद (एप्लीक, पैचवर्क, मिट्टीकार्य एवं कढ़ाई)	गुजरात
8.	अनेगुंडी, कोप्पल, हम्पी (केला फाइबर शिल्प, जलकुंभी शिल्प)	कर्नाटक

****